

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्रातिथकार में

2017 का आपराधिक अपनी (खं.पी.) सं० 343

वर्ष 2013 के थाना वाद सं.-300, थाना-भभुआ जिला-कैमूर (भभुआ) से उद्भुत।

=====

मुन्ना सिंह, पुत्र-उमा सिंह निवासी- भभुआ वार्ड संख्या 20, थाना- भभुआ, जिला- कैमूर

..... अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य

..... प्रत्यर्थी

=====

साथ में

2017 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 228

वर्ष 2013 के थाना वाद सं.-300, थाना- भभुआ जिला-कैमूर (भभुआ) से उद्भुत।

=====

उमा सिंह, प्रत्र-स्वर्गीय गणेश सिंह, निवासी- भभुआ वार्ड सं.-20, थाना- भभुआ, जिला-
कैमूर।

.....अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रत्यर्थी

साथ में

2018 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 626

वर्ष 2013 के थाना बाद सं.300, थाना- भभुआ जिला- कैमूर (भभुआ) से उद्भुत।

सत्येन्द्र सिंह, पुत्र-शिख मूरत सिंह उर्फ शिव मूरत सिंह, निवासी- गवाई, मुहल्ला-
भभुआ वार्ड सं. 20, थाना भभुआ, जिला- कैमूर भभुआ।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. बिहार राज्य एवं अन्य
2. नगीना सिंह, पुत्र- स्वर्गीय देव शरण सिंह, निवासी- भभुआ वार्ड सं.23, थाना- भभुआ
जिला-कैमूर भभुआ
3. धूपन सिंह, पुत्र- स्वर्गीय रामजन्म सिंह, ग्राम के निवासी- शिलौटा, थाना-सोनहान,
जिला-कैमूर भभुआ

.....प्रत्यार्थीगण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम् 1872 - धारा 10

दो दोषसिद्धि अपिलकर्ताओं द्वारा उनके दोष सिद्धि तथा सजा के खिलाफ अपील ----सूचक द्वारा दो बरी व्यक्तियों के खिलाफ उनके बरी होने पर अपील।

निर्णित किया गया कि अभियोजन गवाह सं. 1,2,3 और 5 का अभिकथन संदेहास्पद प्रतीत होता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 - षड्यंत्र का कोई साक्ष्य नहीं है। (पारा-23)

अभियोजन का संस्करण अविश्वसनीय है। (पारा-24)

कोई भी स्वतंत्र गवाह अभियोजन का केस साबित करने लिये आगे नहीं आया। (पारा-25)

मृतक की हत्या किसने की, यह रहस्यमय है। (पारा-27)

दोनों अभियुक्तों के दोषसिद्धि एवं सजा को निरस्त किया गया। (पारा-29)

दो अभियुक्तों को जिन्हें बरी किया गया, निर्णय को सही पाया गया। (पारा-31)

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्रातिथकार में

2017 का आपराधिक अपनी (खं.पी.) सं० 343

वर्ष 2013 के थाना वाद सं.-300, थाना-भभुआ जिला-कैमूर (भभुआ) से उद्भुत।

=====

मुन्ना सिंह, पुत्र-उमा सिंह निवासी- भभुआ वार्ड संख्या 20, थाना- भभुआ, जिला- कैमूर

..... अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य

..... प्रत्यर्थी

=====

साथ में

2017 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 228

वर्ष 2013 के थाना वाद सं.-300, थाना- भभुआ जिला-कैमूर (भभुआ) से उद्भुत।

=====

उमा सिंह, प्रत्र-स्वर्गीय गणेश सिंह, निवासी- भभुआ वार्ड सं.-20, थाना- भभुआ, जिला- कैमूर।

.....अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रत्यर्थी

साथ में

2018 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 626

वर्ष 2013 के थाना बाद सं.300, थाना- भभुआ जिला- कैमूर (भभुआ) से उद्भुत।

सत्येन्द्र सिंह, पुत्र-शिख मूरत सिंह उर्फ शिव मूरत सिंह, निवासी- गवाई, मुहल्ला- भभुआ वार्ड सं. 20, थाना भभुआ, जिला- कैमूर भभुआ।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. बिहार राज्य एवं अन्य
2. नगीना सिंह, पुत्र- स्वर्गीय देव शरण सिंह, निवासी- भभुआ वार्ड सं.23, थाना- भभुआ जिला-कैमूर भभुआ
3. धूपन सिंह, पुत्र- स्वर्गीय रामजन्म सिंह, ग्राम के निवासी- शिलौटा, थाना-सोनहान, जिला-कैमूर भभुआ

.....प्रत्यार्थीगण

उपस्थिति:

(2017 ने अपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 343)

अपीलार्थी के लिए: श्री प्रभाकर सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी के लिए: श्रीमान् श्री सत्य नारायण प्रसाद, स.लो.अभि.

(2017 ने आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 228)

अपीलार्थी के लिए: श्री त्रिभुवन नारायण, अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिए: श्रीमान श्री दिलीप कुमार सिंह

सूचक के लिए: श्री सिद्धेन्द्र नारायण सिंह, अधिवक्ता।

(2018 की आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 626 में)

अपीलार्थी के लिए: श्री सिद्धेन्द्र नारायण सिंह, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी/ओं के लिए: श्री अजय मिश्रा, स.लो.अभि.

उत्तरदाता सं. 3 के लिए: श्री नरेन्द्र कुमार, अधिवक्ता।

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार और

एवं

माननीय न्यायधीश श्री खाटीम रेज़ा

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

तिथि: 14-03-2024

1. तीनों अपीलों पर एक साथ विचार किया गया है और इस आम निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

2. अपीलार्थी मुन्ना सिंह और अपीलार्थी उमा सिंह ने 2017 की क्रमशः अपील (खं.पी.) संख्या 343/2017 और 328 में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी है। अपीलार्थी-उमा सिंह अपीलार्थी-मुन्ना सिंह के पिता हैं। वे 2013 के भवुआ थाना मामले संख्या 300 से

उत्पन्न 2014 के सत्र परीक्षण संख्या 07 में भभुआ में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-IV, कैमूर, भभुआ द्वारा पारित निर्णय द्वारा भा.दं.सं की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए हैं। दिनांक 23.01.2017 के आदेश द्वारा, उन्हें रुपये 10,000/- के जुमनि के साथ आजीवन कारावास की सजा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराध के लिए दो वर्षों के कारावास की सजा सुनाई गई है।

3. 2017 की भभुआ थाना वाद सं.300 से उद्भूत सत्र वाद सं. 420/2016 तथा 564/2016 में विद्वान सत्र न्यायाधीश-IV, कैमूर (भभुआ) द्वारा पारित दिनांकित 04.04.2018 के निर्णय द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों अर्थात्, नगीना सिंह एवं धूपन जो बाद में विचारण पर लाए जाने के फलस्वरूप बाद में आरोपित हुए थे, को सभी आरोपों से बरी करने के कारण व्यथित होकर अपीलार्थी, सत्येंद्र जो मृतक मृतक के पिता एवं इस वाद में सूचनादाता भी हैं ने अपराधिक अपील खंडपीठ सं. 626/2018 दायर की थी।

4. हमने अपीलार्थी/मुन्ना सिंह के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभाकर सिंह; अपीलार्थी/उना सिंह के विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिभुवन नारायण सिंह और अपीलार्थी/सत्येंद्र सिंह/मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धेन्द्र नारायण सिंह को चुना है। श्री सिद्धेन्द्र नारायण सिंह अपराधिक अपील (खंड पी० सं० 343/2017 एवं 2017 की 228 में सूचनादाता के लिए उपस्थित हुए)। बरी किए गए दो अभियुक्तों, नगीना सिंह और धूपन सिंह के संबंध में, हमने क्रमशः विद्वान अधिवक्ता श्री नरेंद्र कुमार और विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सिंह को सुना है। राज्य का प्रतिनिधित्व श्री सत्य नारायण प्रसाद श्री दिलीप कुमार सिंह और श्री अजय मिश्रा, विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजकों ने किया है।

5. दोनों सत्र मुकदमों में गवाह समान हैं और जिस क्रम में उनसे पूछताछ की गई थी, उसमें मामूली अंतर है। हम सत्र परीक्षण सं. 7/2013 के संदर्भ में गवाहों का उल्लेख

करेंगे, जिसमें अपीलार्थी/मुन्ना सिंह और उमा सिंह को दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है।

6. सत्येंद्र सिंह / अभिं० साक्षी 4 ने शाम 7:45 बजे 11.06.2013 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है, जिसे भभुआ पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर, अर्थात् अभिं० साक्षी 7 के रूप में जांच किए गए मिथिलाश कुमार द्वारा दर्ज किया गया था। उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि जब वे दिनांक 11.06.2013 के संध्या 04.00 बजे शाम में अपने घर में बैठे थे, एक सिंटू सिंह और दो अन्य लड़कों सहित तीन लड़के, जिनकी उन्होंने पहुंचान नहीं की थी आए और अपने बेटे/रघु सिंह (मृतक) को क्रिकेट खेलने के लिए आने के लिए कहा। उपरोक्त सिंटू सिंह के हाथ में क्रिकेट का बल्ला था। उपरोक्त तीन व्यक्तियों के पूछने पर मृतक उनके साथ क्रिकेट खेलने गया। इसके बाद, अभिं० साक्षी 4 अपनी भैंसों की देखभाल करने के उद्देश्य से अपने घर से बाहर आया और पाया कि काली मंदिर के पास एक बड़ी भीड़ थी। उन्होंने अपनी भैंसों को बिना बांधे छोड़ दिया और मंदिर के पास गए जहां उन्होंने पाया कि भीड़ क्रिकेट मैच देखने के लिए जमा हो गई थी जिसमें उनका पुत्र (मृतक) भी खेल रहा था। वह भी क्रिकेट मैच देखने में तल्लीन हो गए। शाम को लगभग 5 बजे, तीन मोटरसाइकिलों पर 6 लोग आए। सोनू सिंह और उनके पिता नगीना सिंह एक मोटरसाइकिल पर आए थे जबकि अपीलकर्ता/उमा सिंह और मुन्ना सिंह दूसरी मोटरसाइकिल पर आए थे। तीसरे वाहन में दो लोग आए थे, जिनमें से एक की पहचान अभिं० साक्षी 4 ने धूपन सिंह के रूप में की थी। सोनू सिंह के पास एक लाइसेंस प्राप्त राइफल थी जबकि नगीना सिंह के हाथ में देसी पिस्तौल थी। सभी बदमाश अपने वाहनों से उतर गए और सिंटू सिंह से थोड़ी देर बात की। इसके बाद सोनू सिंह ने अपनी राइफल से गोली चलाई जो मृतक की पीठ में लगी, जिसके परिणामस्वरूप वह नीचे गिर गया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, नगीना सिंह ने अपनी देसी पिस्तौल से गोली चला दी, इसके बाद मुन्ना सिंह ने भी मृतक पर करीब रैंज से गोली चला दी। धूपन सिंह और उमा सिंह ने वहाँ जमा हुए लोगों को धमकी दी और जिन्होंने

मृतक की रक्षा के लिए आगे आने के लिए कुछ प्रस्ताव दिए थे। इसके बाद सभी बदमाश हवा में गोलीबारी करते हुए बाहर निकल गए। अभियो साक्षी 4 तब अपने पुत्र के पास गया और पाया कि वह पहले ही मर चुका था। पी. डब्ल्यू. 4 को इसलिए संदेह था कि एक अच्छी तरह से रची गई साजिश के कारण, मृतक जो पूरी तरह से असुरक्षित था, आरोपी व्यक्तियों के हाथों मारा गया था।

7. यहाँ यह बताना प्रासंगिक हो सकता है कि सोनू सिंह को किशोर पाया गया था और उसके मामले को उसके अपराध के निर्धारण के लिए किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया गया था। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, उसे दोषी ठहराया गया था और उसे हिरासत की अवधि की सजा सुनाई गई थी, जिससे वह पहले से ही गुजर चुका था, जो तीन साल से भी कम समय का रहा होगा। शुरू में अपीलार्थियों/मुन्ना सिंह और उमा सिंह के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिन पर 2014 के सत्र परीक्षण संख्या 7 के माध्यम से मुकदमा चलाया गया था।

8. नगीना सिंह और धूपन सिंह के खिलाफ बाद में आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद, सत्र परीक्षण 12011 सं० 420/2016 तथा 564/2016 में विचारण किया गया।

9. 2014 के सत्र परीक्षण संख्या 7 में सात गवाहों से पूछताछ की गई, जबकि अन्य परीक्षण (सत्र वेखा 564/2016 संख्या 420/2016 तथा 564/2016) में केवल छह गवाहों से पूछताछ की गई। हालांकि, उपरोक्त मुकदमे में बचाव पक्ष की ओर से चार गवाहों से पूछताछ की गई। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 2014 के सत्र परीक्षण संख्या 7 में मुन्ना सिंह और उमा सिंह को दोषी ठहराया गया था, जबकि 2016 के सत्र परीक्षण संख्या 5 को 564 में नगीना सिंह और धूपन सिंह को बड़ी 420/2016 तथा 564/2016 में नगीना सिंह और धूपन सिंह को बड़ी कर दिया गया था।

10. 2014 के सत्र परीक्षण संख्या 7 में, सूचना देने वाले (अभिं० साक्षी 4) ने हालांकि अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया, लेकिन अभियोजन पक्ष के मूल संस्करण से विचलन बहुत कठोर प्रतीत होता है। विचारण अदालत के समक्ष, उन्होंने अपने दामाद और दूसरे पुत्र, प्रमोद और मनीष (क्रमशः अभिं० साक्षी 5 एवं अभिं० साक्षी 3) की उपस्थिति के बारे में बताया था, जिनके बारे में उन्होंने अपने फर्दब्यान में कुछ भी उल्लेख नहीं किया था। उनके अनुसार, उनकी पत्नी बिजौता देवी (अभिं० साक्षी 2) और उनकी विवाहित बेटी शशि देवी (अभिं० साक्षी 1) भी काली मंदिर में पूजा करने आई थीं। इस बीच, तीन मोटरसाइकिलों पर सवार 6 बदमाश आए। सोनू (किशोर) के पास अपने पिता की लाइसेंसी राइफल थी। हम यह समझने से चूक गए हैं कि वह हथियार को नगीना (नगीना उपरोक्त सोनू के पिता होने के नाते) के लाइसेंस प्राप्त हथियार के रूप में कैसे पहचान सकता है। मुन्ना और उम्मा एक मोटरसाइकिल पर थे जबकि धूपन एक दूसरे के साथ दूसरी मोटरसाइकिल पर थे। सोनू पर आरोप है कि उसने सिंटू के साथ कुछ बातचीत की थी, जिस पर कभी मुकदमा नहीं चलाया गया क्योंकि संदेह कभी उसकी ओर नहीं बदला, जिसके बाद उसने अपनी राइफल से मृतक की पीठ में गोली मार दी। इसके तुरंत बाद, नगीना ने मृतक के जबड़ों को निशाना बनाकर गोली चलाई। मुन्ना सिंह ने भी इसका अनुसरण किया और अपने हथियार से मृतक की गर्दन पर गोली चला दी। उपद्रवियों में किसी को धमकी दिया, जो उनके पास आने का साहस करेगा और उसके बाद, वे सभी पूर्वी दिशा की ओर भाग गए। कुछ देर बाद पुलिस आ गई। पुलिस को राइफल का एक खाली कारतुस मिला था। उसका बयान पुलिस को दिया गया था जिस पर प्रमोद (अभिं०साक्षी 5) के हस्ताक्षर थे। उन्होंने निचली अदालत के समक्ष दोहराया कि उनके अलावा मनीष (अभिं० साक्षी 3), शशि (अभिं०साक्षी 1), बिजौता देवी (अभिं०साक्षी 2) और प्रमोद (अभिं० साक्षी 5) ने घटना देखी थी। उसने अदालत में मुन्ना और उमा की पहचान की थी।

11. उनके बयान में जो बात और ध्यान देने योग्य है वह यह है कि उन्होंने पाया था कि उस क्रिकेट मैच को लगभग 300-400 व्यक्तियों द्वारा देखा जा रहा था। पहली गोली मृतक की पीठ में लगी जबकि दूसरी और तीसरी गोली मृतक की गर्दन के ऊपर लगी। जहां अभिसाक्षी 4 खड़ा था, वहां कुछ दर्शक जैसे अजीत, सुजीत, कामेश्वर और उनका पुत्र भी थे। मुकदमे में उनमें से किसी की भी परीक्षण नहीं की गई है। खिलाड़ियों में, उन्होंने केवल सिंटू की पहचान की थी। उनके अनुसार, सिंटू विकेटकीपिंग कर रहे थे।

12. यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रमोद (पीडब्लू, 5) ने निचली अदालत के समक्ष कहा था कि यह मृतक ही था जो विकेटकीपिंग कर रहा था। उनका ध्यान शाम 5 बजे उनके घर में उनकी उपस्थिति के बारे में दिए गए उनके पहले के बयान की ओर आकर्षित किया गया था, जिसका उन्होंने इनकार किया और खुद को सही किया कि उन्होंने शाम 4 बजे अपने घर पर अपनी उपस्थिति के बारे में बात की थी, जब मृतक को सिंटू और दो अन्य लोगों ने क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया था। अपनी जिरह के दौरान, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने अपने पुत्र को बचाने या खुद को सुरक्षित स्थान पर भागने का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने नगीना पुत्र मंटू की हत्या के संबंध में मृतक के खिलाफ लगाए गए आरोपों का पूरी तरह से खंडन किया। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उस हत्या के मामले में अभि. साक्षी 4 या किसी अन्य को आरोपी बनाया गया था। उन्होंने इस सुझाव का खंडन किया है कि केवल पुरानी रंजिश को बढ़ावा देने के लिए और पुत्र की हत्या का फायदा उठाते हुए, उन्होंने आरोपी व्यक्तियों को गलत तरीके से फंसाया है।

13. इस संदर्भ में अन्वेषक (अभि. साक्षी- 7) के बयान का उल्लेख करना लाभदायक होगा, जिसने अभि. साक्षी- 4 का फरदबयान बयान दर्ज किया था। फर्दबयान को रिकॉर्ड करने के पश्चात, उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राथमिकी 22.00 बजे पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और जाँच 22.30 बजे आगे बढ़ी। मुर्दाघर में अभि. साक्षी- 4 का आगे का बयान दर्ज किया गया। उस समय उन्होंने नरेंद्र सिंह, अनूप कुमार

पटेल, कृष्ण सिंह और प्रमोद सिंह का बयान दर्ज किया था। इनमें से केवल प्रमोद सिंह को कठघरा में लाया गया था। उन्होंने अगले दिन घटना स्थल का दौरा किया और पाया कि घटना का प्रस्तावित स्थान जय प्रकाश कुशवाहा के मैदान में बनाई गई एक क्रिकेट पिच थी। घटना स्थल के बहुत पास नगीना का परती मैदान था। 11.06.2013 की रात में एक खाली कारतूस (प्रदर्श 5) की बरामदगी को याद करते हुए, अभि. साक्षी- 7 ने पुष्टि की कि कारतूस के तल पर, एम. एम. के. एफ. अंकित था। कृष्ण सिंह (जांच नहीं की गई) और प्रमोद सिंह (अभि. साक्षी- 5) की उपस्थिति में इसे जब्त कर लिया गया था। उन्होंने बिजौता देवी (अभि. साक्षी- 2), मनीष कुमार (अभि. साक्षी 3), पल्लू यादव, राम विनय यादव, शशि (पीडब्लू 1) और रूपा का बयान दर्ज किया था।

14. शशि (अभि. साक्षी- 1) ने उनके समक्ष कोई बयान नहीं दिया था कि अपीलार्थी/मुन्ना ने मृतक की गर्दन पर गोली चलाई थी। हालाँकि, उसने कहा था कि जब उसका भाई मनीष मृतक को बचाने गया था, तो अपीलकर्ता/उमा और एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया था और बंदूक की नोक पर उसे चले जाने की धमकी दी थी। घटना के तरीके और क्रम के बारे में अधिक विवरण किसी भी गवाह द्वारा नहीं बताया गया था। अभि. साक्षी- 7 (अन्वेषक) को उनके आधिकारिक मोबाइल टेलीफोन पर घटना के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन उन्होंने फोन करने वाले का नाम नहीं पूछा और न ही जांच के दौरान उन्हें पता चल सका कि वह व्यक्ति कौन था जिसने उन्हें घटना के बारे में सूचित किया था। घटना स्थल पर उन्हें खेलने का कोई उपकरण नहीं मिला। अत्यधिक महत्व की बात यह है कि बिजौता देवी (अभि. साक्षी 2), जो मृतक की माँ हैं, ने विशेष रूप से जांचकर्ता को बताया था कि एकमात्र व्यक्ति जिसने इस घटना को देखा था, वह उनके पति यानी अभि. साक्षी- 4 थे और कोई और नहीं। अभि. साक्षी 7 द्वारा बरामद किए गए खाली कारतूस की फोरेंसिक जांच नहीं कराने का कोई कारण नहीं बताया गया था। इसके परे अभि. साक्षी-7 के पास कहने के लिए कुछ नहीं था।

15. अभि. साक्षी- 4 और अभि. साक्षी 7 के बयान के सारांश संदर्भ से कुछ बातें बहुत स्पष्ट दिखाई देती हैं। अभि. साक्षी- 4 (मुखबिर) ने शुरू में अपने परिवार के सदस्यों के क्रिकेट मैच देखने के लिए अपने घर से बाहर आने के बारे में बात नहीं की थी। हम मानते हैं कि सूचना देने वाले के लिए घटना के बारे में सभी विवरण देना आवश्यक नहीं है। लेकिन यह तथ्य, अर्थात् उनकी पत्नी, उनके दूसरे पुत्र और उनकी विवाहित बेटी के साथ- साथ उनके दामाद का भी घटना स्थल पर मौजूद होना, एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, जिसे अभि. साक्षी 4 को अपना फरदबयान देते समय चूकना नहीं चाहिए था।

16. अभि. साक्षी 1 शशि, जो अभि. साक्षी-4 की विवाहित बेटी है, के बयान से हमें पता चला है कि घटना के एक महीने बाद उसका बयान दर्ज किया गया था। यह संभव नहीं होता अगर शशि इस घटना के गवाह होते। हालाँकि, मुकदमे में, उसने मामूली परिवर्तनों के साथ घटनाओं का वही क्रम दिया है जैसा कि अभि. साक्षी - 4 और अन्य गवाहों द्वारा सुझाव दिया गया है। मनीष (अभि. साक्षी- 2) की कहानी जिसमें मृतक को बचाने के लिए वे आगे बढ़े लेकिन उसे बंदूक की नोक पर रोका रखा गया, पहली बार अभि. साक्षी- 1 द्वारा विचारण के समय पेश किया गया था। यह, यदि यह सच था, तो यह पूर्व-मान लिया जाएगा कि सभी गवाह यानी मृतक के परिवार के सदस्य मृतक के काफी पास थे जब उस पर हमला किया गया था। एक क्रिकेट मैच चल रहा था जिसे 300-400 लोग देख रहे थे। यह कथन भी सही नहीं प्रतीत होता है क्योंकि मैच उस ग्राम में खेला गया था जिसकी आबादी 300 नहीं हो सकती थी। 400. और उन 300-400 में से जो मैच देख रहे थे, कोई भी अभियोजन मामले का समर्थन करने के लिए आगे नहीं आया। उनमें से किसी ने भी घटना को रोकने या उपद्रवियों को बाहर निकलने से रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। अभियुक्त व्यक्ति भाड़े के हत्यारे नहीं थे जो दर्शकों के मन में भय पैदा करते। वे गाँववाले और गाँववालों के रिश्तेदार थे जिन्हें वे सभी जानते होंगे। अगर घटना स्थल पर इतने सारे लोग

मौजूद होते, तो हमलावरों के लिए बाहर निकलना आसान नहीं होता। पीछा करने की कोई सूचना नहीं है। 400 और विषम ग्रामीणों की भीड़ को डराना थोड़ा संदिग्ध लगता है।

17. उपरोक्त परिस्थितियों में, अभि. साक्ष्यों 1, 2, 3 और 5 का बयान को संदिग्ध माना जाता है।

18. यह कि मृतक की हत्या की गई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर के बयान (अभि. साक्षी- 6) से साबित होता है। अभियोजन पक्ष के बयान के अनुसार, मृतक को तीन बार गोली मारी गई थी। डॉक्टर को चार चोटें मिली थीं; जिनमें से दो प्रवेश के घाव थे, जबकि दो बाहर निकलने के घाव थे। तीसरी गोली गायब थी। गोलियाँ करीब से चलाई गई। अभि. साक्षी 4 और अन्य इस बारे में बहुत विशिष्ट रहे हैं। घाव के पास कोई जलने या टैटू का निशान नहीं था। घटना में राइफल का उपयोग भी इस कारण से संदिग्ध है कि प्रवेश के घाव से बाहर निकलने वाले घाव के बड़े होने का कोई सबूत नहीं है। पोस्टमार्टम जांच के दौरान डॉक्टर को कोई राइफल चलाने का निशान नहीं मिली। निश्चित रूप से मृतक मानवधाती की मौत बंदूक की गोली से हुई थी, लेकिन जिस सवाल का जवाब मिलना है वह यह है कि मृतक के हमलावर कौन थे। यदि अभि. साक्षी के चश्मदीद गवाह के विवरण पर बिना किसी चेतावनी के विश्वास किया जाए, तो वह सोनू (किशोर), नगीना और मुन्ना जिन्होंने मृतक पर गोली चलाई थी।

19. यह कि अन्वेषण पदाधिकारी को घटना स्थल पर कोई खून नहीं मिला और खाली कारतुस को किसी भी फोरेंसिक जांच में नहीं रखा गया, अभियोजन पक्ष के मामले में और संदेह पैदा करता है। जांचकर्ता (अभि. साक्षी- 7) सहित किसी भी गवाह के साक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं है कि शव को घटना के वास्तविक स्थान से हटा दिया गया था। तीन गोलियों के घावों से मृतक की तत्काल मौत हो जाती है और शव के पास कोई खून नहीं होता है, कहानी को कुछ हद तक अविश्वसनीय बनाता है।

20. मृतक के परिवार वालों ने पुलिस स्टेशन को सूचित नहीं किया था। कुछ दर्शकों ने जांचकर्ता के आधिकारिक मोबाइल टेलीफोन पर हत्या की घटना के बारे में बात की थी। वह जानकारी क्या थी, यह अभी तक अज्ञात है। अन्वेषण पदाधिकारी ने फोन करने वाले की पहचान जानने की कभी परवाह नहीं की। उन्होंने घटना स्थल पर जाने से पहले ऐसी जानकारी भी दर्ज नहीं की थी। वह जानकारी, जो इस समय पर पहली रही होगी, बहुत प्रासंगिक रही होगी। अभिलेखों के अनुसार, पुलिस प्रतिवेदन 11 जून, 2013 की रात लगभग 7:45 बजे घटना स्थल पर पहुंची। उसके कुछ ही समय बाद, पूछताछ 300-400 ग्रामीणों को देखते हुए एक मौत होना अपराध ग्रामीणों द्वारा करना एवं वहाँ कोई और नहीं था सिवाय परिवार के उन सदस्यों के जिन्होंने जांच-पड़ताल प्रतिवेदन को हस्ताक्षरित किया। रात के लिए शव कहाँ रखा गया था? मृतक को किसने मृत घोषित किया? शव को कब और किसके द्वारा जांच के लिए मुर्दाघर ले जाया गया था? इन मुद्दों को अन्वेषक द्वारा अनुत्तरित छोड़ दिया जाता है।

21. अगर इन तथ्यों को गवाहों को स्पष्ट सुझाव के संदर्भ में देखा जाए कि मृतक एक मंटू (नगीना का बेटा) का हत्यारा था, जिसे भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन बरी कर दिया गया था, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। शत्रुता के इस पृष्ठभूमि तथ्य से कुछ स्पष्टीकरण उपलब्ध है।

22. दूसरे विचारण में, जहां नगीना और धूपन पर मुकदमा चलाया गया था, उसी जांचकर्ता ने निचली अदालत को बताया कि मृतक की पृष्ठभूमि बहुत ही कलंकित थी। वह उस क्षेत्र का कुख्यात अपराधी था। अन्वेषक का ऐसा मूल्यांकन कानून को नजर में कोई साक्ष्य नहीं होगा, लेकिन हत्या के कहानी के संबंध में केवल कुछ कड़ी प्रदान कर सकता है। मृतक पहले से ही अभियुक्त व्यक्तियों में से एक नगीना के पुत्र की हत्या के लिए अभियोजन का सामना कर रहा था। दूसरा आरोपी व्यक्ति, जिसे भी बरी कर दिया गया है, मारे गए व्यक्ति का ससुर है। उसे भी फंसाने का पूरा कारण था।

23. धूपन नगीना का समर्थी अलग ग्राम का निवासी है। नगीना, धूपन और अन्य लोगों की साजिश के कारण मृतक के मारे जाने की संभावना हो सकती है, लेकिन यह केवल अटकलों और अनुमानों के क्षेत्र में होगा। यह संदेह से परे है कि मृतक के खिलाफ उनकी निश्चित रूप से दुर्भावना थी। लेकिन मृतक की हत्या की किसी भी साजिश के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के तहत स्वीकार्य किसी भी सबूत के अभाव में, अपीलार्थियों/मुन्ना और उमा को दोषी ठहराना अनुचित प्रतीत होता है। यदि कोई साजिश होती, तो वह समय जब 300-400 व्यक्ति के सामने एक क्रिकेट मैच खेला जा रहा था, एक अपराध को प्रभावी बताने के वास्ते सबसे अधिक अनुचित समय था। नगीना का मैदान जय प्रकाश के मैदान के पास है जहाँ कामचलाऊ क्रिकेट पिच बनाई गई थी। धूपन को छोड़कर, बरी या दोषी ठहराए गए अन्य सभी व्यक्ति एक ही ग्राम के निवासी हैं। मृतक के इतने समय तक छिपे रहने का कोई सबूत नहीं है।

24. अभि साक्षी 4 के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि वह सामान्य जीवन जी रहा था। अगर वह किसी सह- ग्रामीण की हत्या का आरोपी होता, तो क्रिकेट के मैदान में बिना किसी सुरक्षा के खेलने के लिए आसानी से सहमत नहीं होता। गवाहों में से किसी के मन में कोई आशंका नहीं थी। इस प्रकार शत्रुता मौजूद थी, लेकिन शायद अभियुक्त व्यक्तियों ने अपने परिवार में अपराध से निपटने के लिए कानूनी तरीकों का सहारा लिया था। उपद्रवियों के लिए पूरी तरह से सार्वजनिक होने से पहले हत्या के इस कृत्य का सहारा लेने का कोई सतर्कता बिन्दु नहीं था और क्रिकेट मैच देख रहे व्यक्तियों में से कोई भी मृतक की हत्या में आरोपी व्यक्तियों की सहापराधिता के बारे में अपनी जानकारी के बारे में बात करने के लिए आगे नहीं आया है। यह अभियोजन पक्ष के संस्करण की शुद्धता के बारे में शक करता है।

25. यदि समग्रता में देखा जाए, अर्थात् अभियोजन साक्षी 4 का असंगत संस्करण; उसकी पत्नी ने जाँचकर्ता को बताया कि केवल अभि साक्षी 4 ने घटना देखी थी; क्रिकेट मैच में मृतक की बहन और बहनोई का आकस्मिक आगमन; मृतक की माँ और बहन के पूजा

करने के लिए कात्ती मंदिर जाने की कहानी, विशेष रूप से जब उस दिन सूचना देने वाले के परिवार में कोई समारोह नहीं था और मंदिर में जाने का समय लगभग 5 बजे का था और; कोई भी स्वतंत्रता व्यक्ति अभियोजन मामले का समर्थन करने के लिए आगे नहीं आया था, अभियोजन पक्ष का संस्करण तेजी से ध्वस्त करते हैं।

26. इसे और आगे ले जाने के लिए, अन्वेषण पदाधिकारी को शव के पास कोई खून नहीं मिला और घटना स्थल मंगा पर जब्त किए गए इस्तेमाल किए गए कारतुस को किसी भी फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया, इस मुद्दे को और गड़बड़ करता है। हमले का हथियार, एक लाइसेंस प्राप्त, कभी जब्त नहीं किया गया था।

27. तब मृतक की हत्या किसने की, यह एक रहस्य बना हुआ है।

28. पूर्व-उल्लिखित कारण के लिए, हम पाते हैं कि अपीलार्थी अर्थात् मुन्ना एवं उमा की दोषसिद्धी को 2017 की आपराधिक अपील ए (खं०पी०) संख्या 343 और 2017 की आपराधिक अपील (खं० पी०) संख्या 228 को कानून की अवैध में अस्थिर माना जाएगा। मजबूरन, हम उन्हें संदेह का लाभ देते हुए, उन्हें आरोपों से बरी करने के बाद उनकी दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार कर देते हैं।

29. अपीलार्थी/मुन्ना सिंह जेल में है, उसे किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं होने पर तुरंत जेल से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

30. अपीलार्थी/उमा सिंह जमानत पर हैं। उसे अपने जमानत बंध के दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है।

31. नगीना और धूपन नाम के उत्तरदाताओं को बरी करना बिल्कुल उचित प्रतीत होता है। नगीना और धूपन नाम के उत्तरदाताओं को बरी करने के फैसले में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

32. इस प्रकार, 2017 की आपराधिक अपील (खं०पी०) संख्या 343 और 2017 की आपराधिक अपील (खं०पी०) संख्या 228 को अनुमति दी गई है और 2018 की आपराधिक अपील (खं०पी०) संख्या 626 को खारिज कर दिया गया है।

33. सभी अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

34. इस फैसले की एक प्रति संबंधित जेल के अधीक्षक को रिकॉर्ड एवं अनुपालन के लिए भेजा जाए।

35. इन अपीलों के अभिलेखों को नीचे दिए गए संबंधित न्यायालय को तुरंत वापस कर दिया जाए।

(आशुतोष कुमार, न्या.)

(खातिम रेजा, न्या.)

सुनीलकुमार/-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्योन्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।